संख्या- 37/2024/364/छप्पन-2024-56-1001(099)/3/2022

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 16 मार्च, 2024

विषय: शासकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु नये हैलीकॉप्टर AW 139 के क्रय हेतु क्रय अनुबन्ध के अनुसार हेलीकाप्टर मूल्य के 30% समतुल्य की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 382/ना0उ0नि0उ0प्र0/इंजी/एल.एच-1/2023(पी) दिनांक 07 मार्च, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु नये हैलीकॉप्टर AW 139 के क्रय हेतु Contract Price 20.650.000,00 Euro (Twenty Million Six Hundred Fifty Thousand Euro) की सूचना देते हुए payment terms के प्रस्तर 3.1.1 के अनुसार contract price के 30 प्रतिशत समतुल्य धनराशि First payment के रूप में 6.195.000,00 Euro (Six Million One Hundred Ninety Five Thousand Euro), जो भारतीय मुद्रा में रू0 91 प्रति यूरो की दर से रू0 56,37,45,000/- (रूपए छप्पन करोड़ सैंतीस लाख पैंतालीस हजार मात्र) है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ-साथ अग्रिम आहरण व निर्माता को भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- शासकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु नये हैलीकॉप्टर AW 139 का क्रय निर्माता कम्पनी मेसर्स Leonardo S.p.a., Italy से किए जाने हेतु निर्माता कम्पनी तथा नागरिक उड्डयन निदेशालय के मध्य निष्पादित अनुबन्ध दिनांक 07 मार्च, 2024 के पृष्ठ-2 पर अंकित प्रस्तर-2 के अनुसार हैलीकॉप्टर AW 139 के क्रय हेतु Contract Price 20.650.000,00 Euro (Twenty Million Six Hundred Fifty Thousand Euro) है तथा payment terms के प्रस्तर 3.1.1 के अनुसार contract price के 30 प्रतिशत समतुल्य धनराशि First payment के रूप में 6.195.000,00 Euro (Six Million One Hundred Ninety Five Thousand Euro) जो भारतीय मुद्रा में रू0 91 प्रति यूरो की दर से रू0 56,37,45,000/- (रूपए छप्पन करोड़ सैंतीस लाख पैंतालीस हजार मात्र) का भुगतान निर्माता कम्पनी से Commercial Invoice तथा Advance payment bank guarantee प्राप्त होने के पश्चात् निदेशालय द्वारा किया जाना है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु नये हैलीकॉप्टर AW 139 के क्रय हेतु क्रय अनुबन्ध के प्रस्तर 3.1.1 के अनुसार हेलीकाप्टर मूल्य के 30% की धनराशि First payment के रूप में 6.195.000,00 Euro (Six Million One Hundred Ninety Five Thousand Euro), जो भारतीय मुद्रा में रू0 91 प्रति यूरो की दर से रू0 56,37,45,000/- (रूपए छप्पन करोड़ सैंतीस लाख पैंतालीस हजार मात्र) है, की प्रशासकीय एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय स्वीकृति के साथ-साथ अग्रिम आहरण व निर्माता कम्पनी से Commercial Invoice तथा Advance payment bank guarantee प्राप्त होने के पश्चात् भुगतान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।

3- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-38 लेखाशीर्ष पूंजी लेखा ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य-03-हेलीकाप्टर/वायुयान का क्रय-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' से वहन की जाएगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: E-7-695-X-2023-24-दिनांक:16-3-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 37/2024/364(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

5- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।